किशना राम बनाम सरकार

मु0न0 189 / 2023

अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट

दिनांक :– 05.7.2023

पत्रावली पेश हुई । प्रशासन गांवो के संग अभियान व मंहगाई राहत शिविर 2023 टापरा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौजा पनोतरी नाडी के खसरा संख्या 473 का विभाजन कराया था जिसमे खसरा संख्या 473 / 1 रकबा 13 बीघा केसा पुत्र रूपा के नाम तथा खसरा संख्या 473 / 2 रकबा 12.19 बीघा किसना पुत्र पेमां, चुकी बेवा पेमा कौम रबारी दर्ज हुआ था। नक्शा जमाबन्दी तथा नामान्करण सं. 543 की पुश्त पर तरमीम अक्स संलग्न है । वक्त सेग्रीगेशन उक्त तरमीम उलट पलट होकर खसरा संख्या 473 / 1 किशना पुत्र पेमा तथा 473/2 केसा पुत्र रूपा के हिस्से में दर्ज हो गई, जबकि हमारी ढाणी, रहवास सभी बंटवाडा अनुसार ही है। अतः वक्त बंटवाडा जमाबन्दी तरमीम, नामान्तकरण संख्या 543 की पुश्त अनुसार सहवन से हुई त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज किया गया । विवादित भूमि के सम्बन्ध मे भू.अ.नि जसोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हमने उभय पक्ष को सुना । पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एंव भू.अ.निरीक्षक जसोल की मौका फर्द का अवलोकन किया गया । मौका फर्द अनुसार मौजा पनोतरी नाडी के खेत खसरा संख्या 1077 / 473, 1078 / 473 के खातेदारी व मौतबिरानो के रूबरू हमराह हल्का पटवारी द्वारा मौका व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमे पाया कि राजस्व अभियान 2008 मे मूल खसरा संख्या 473 के खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया था। विभाजन आदेशानुसार खसरा संख्या 473 / 1, 473 / 2 की तरमीम विभाजित आदेश व मौके कब्जे अनुसार सही अंकन था। लेकिन सहवन से नक्शा लट्ठा में विभाजित खसरे खातेदारो की तरमीम स्वीकृत विभाजन आदेश व नामन्तरकरण पृष्ठ किये अंकन अनुसार नहीं की जाकर खातेदारो के खसरो का आपस मे अदला बदली अंकन किए गए। जो पूर्णतय अशुद्ध विभाजित खसरो आपस मे सहवन से दर्ज हो गए। मौके पर खातेदारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की अपने अपने खसरो मे ढाणिया व टांके बनाए जाकर कब्जा काश्त किया जा रहा है । लेकिन लट्ठा नक्शा मे खातेदारो के विभाजित खसरो मे तरमीम अदला–बदली हो मे से पूर्णतया तरमीम अशुद्व हो गई है। अतः विभाजन आदेश पत्र व नामान्तरकरण 543 के पृष्ठ पिछे अंकन तरमीम अक्ष अनुसार एवं मौका कब्जा काश्त अनुसार किसना पुत्र पेमा, चुकी बेवा पेमा कौम रबारी के खातेदारी खसरा संख्या 1077/473 रकबा 2.0477 है, के स्थान पर खसरा संख्या 1078/473 रकबा 2.0477 है, व केसा पुत्र रूपा कौम रबारी के खातेदारी खसरा संख्या 1078/473 रकबा 2.0477 है के स्थान पर खसरा संख्या 1077/473 रकबा 2.0477 है, बा.अ को परिशिष्ठ ''ब '' अनुसार किया जाना उचित है । खातेदारो द्वारा आपस मे मूल खसरा संख्या 473 के विवादित खसरा संख्या 1077/473, 1078/473 की तरमीम अक्षो मे परस्पर आपस मे अदला बदली करने मे सहमति उपस्थित मौतबिराने के रूबरू की गई । मौका फर्द पढकर सुनकर खातेदारो व मौतबिराने ने सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर व अंगुठे किए गये ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के आपसी सहमती व भू.अ.नि. जसोल की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विभाजन आदेश पत्र व नामान्तरकरण 543 के पृष्ठ पिछे अंकन तरमीम अक्ष अनुसार एवं मौका कब्जा काश्त अनुसार किसना पुत्र पेमा, चुकी बेवा पेमा कौम रबारी के मौजा पनोतरी नाडी, भू.अ.नि. जसोल, पटवार हल्का टापरा के खातेदारी खसरा संख्या 1077/473 रकबा 2.0477 है, के स्थान पर खसरा संख्या 1078/473 रकबा 2.0477, व केसा पुत्र रूपा कौम रबारी के मौजा पनोतरी नाडी, भू.अ.नि. जसोल, पटवार हल्का टापरा के खातेदारी खसरा संख्या 1078/473 रकबा 2.0477 है के स्थान पर खसरा संख्या 1077/473 रकबा 2.0477 को राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है ।भू .अ.नि. जसोल के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट ब'' आदेश के अभिन्न अंग होगें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:10 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *